

बनाम

अप्रार्थी:- श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित -

प्रार्थी की ओर से - अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी की ओर से - सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम

-:निर्णय:-

दिनांक:- 3/8/24

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि- प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 13.9940 हैक्टेयर, मौजा ग्राम वीर तेजानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पुरखारान पुत्र हड़मानराम व पुखराज पुत्र हड़मानराम दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम पुखराज पुत्र हड़मानराम है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश पुरखारान पुत्र हड़मानराम व पुखराज पुत्र हड़मानराम दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, इत्यादि में प्रार्थी का नाम पुखराज पुत्र हड़मानराम दर्ज है तथा उक्त भूमि में से बख्सीस सुदा भूमि के बख्सीसनामा से सम्बन्धित शुद्धि पत्र में भी प्रार्थी का नाम पुखराज पुत्र हड़मानराम दर्ज है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से प्रार्थी की भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रुके हुए पड़े हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुधारा जाता है तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 13.9940 हैक्टेयर मौजा ग्राम वीर तेजानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, के राजस्व



अधिवक्ता
घेवरराम विश्नोई

रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पुरखाराम पुत्र हड़मानराम व पुखराज पुत्र हड़मानराम दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम पुखराज पुत्र हड़मानराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।


प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम पुखराज पुत्र हड़मानराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 13.9940 हैक्टेयर, मौजा ग्राम वीर तेजानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पुरखाराम पुत्र हड़मानराम व पुखराज पुत्र हड़मानराम के स्थान पर पुखराज पुत्र हड़मानराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 3/8/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां